



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश  
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल



क्रमांक/एन.एच.एम./एच.आर./2019/13146

भोपाल, दिनांक 05.11.19

//आदेश//

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विज्ञापन पत्र क्रमांक/एनएचएम/स्टोर/2019/10782 दिनांक 24.09.2019 के द्वारा प्रदेश शासन से सेवानिवृत्त अधिकारी से सहायक ग्रेड -3 के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन आमत्रित किये गये थे। नियमानुसार चयन प्रक्रिया पूर्ण कर सेवानिवृत्त अधिकारी का संविदा नियुक्ति हेतु चयन किया गया है:-

क्रमांक	चयनित उम्मीदवार का नाम	पदनाम	मासिक मानदेय	पदस्थापना स्थल
1.	श्री अजय कुमार बाजपेयी, पता-डी.के-02/266, दानिश कुंज, कोलार रोड, भोपाल मो.न. 9425006049	सहायक ग्रेड-3	पे माइनस पेंशन	राज्य स्तरीय कार्यालय, भोपाल

चयनित अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे मूल दस्तावेज एवं उनकी छायाप्रति के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय भोपाल में उपस्थित हो ताकि उनके दस्तावेजों का सत्यापन कर अनुबंध संबंधी कार्यवाही की जा सके।

**संविदा कर्मचारी की सेवा शर्तें निम्नानुसार रहेगी :-**

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा नियुक्ति दिनांक से राज्य स्वास्थ्य समिति, मध्यप्रदेश के संविदा कर्मचारी होंगे।
2. संविदा कर्मचारी की संविदा नियुक्ति दिनांक 31 मार्च 2020 तक के लिये होगी।
3. संविदा कर्मचारी को आदेश दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्य पर उपस्थित होना होगा।
4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के अंतर्गत संविदा सेवा अनुबंध में दर्शाये गये दायित्वों का निर्वहन अनिवार्य होगा।
5. संविदा कर्मचारी का वार्षिक कार्य आधारित मूल्यांकन में योग्य पाये जाने पर कार्ययोजना में प्राप्त स्वीकृति के अनुसार अनुबंध राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश द्वारा स्वीकृत अर्वाधि के लिये बढ़ाया जा सकेगा।
6. संविदा अनुबंध के आधार पर नियामेतीकरण संबंधी कोई मांग या दावे स्वीकार्य नहीं होंगे।
7. संविदा पद पर नियुक्ति कर्मचारी द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति अधिकारी के साथ मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित राशि के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित किया जाना होगा।
8. मानव संसाधन मैनुअल की कडिका 2.10 के अनुसार संविदा नियुक्ति आदेश जारी होने के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी को चिकित्सीय फिटनेस प्रमाण पत्र जिला चिकित्सीय बोर्ड का प्रस्तुत किया जाना होगा।
9. संविदा नियुक्ति आदेश जारी होने के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व शपथ-पत्र देना होगा कि मेरे विरुद्ध कोई भी विभागीय जांच शासन में लंबित नहीं है।
10. उपरोक्त अनुबंध राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्राधिकृत अधिकारी एवं संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी के मध्य निष्पादित किया जायेगा।
11. अनुबंध के निष्पादन पर होने वाला व्यय उक्त संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी द्वारा वहन किया जायेगा।
12. संविदा कर्मचारी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के नवीनतम मानव संसाधन मैनुअल के प्रावधानों के तहत कार्य करना होगा।

(प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित।)

(छवि भारद्वाज)  
मिशन संचालक  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

पृ.कं./एन.एच.एम./एच.आर./2019/13147  
प्रतिलिपी:- सूचनार्थ।

भोपाल, दिनांक 05.11.19

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश।
3. अपर मिशन संचालक, एन.एच.एम, मध्यप्रदेश।
4. संचालक, वित्त, मध्यप्रदेश।
5. समस्त उप संचालक, एन.एच.एम, मध्यप्रदेश।
6. संबंधित की ओर पालनार्थ।

मिशन संचालक  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश  
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल



क्रमांक/एन.एच.एम./एच.आर./2019/13144

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 05.11.19

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विज्ञापन पत्र क्रमांक/एनएचएम/स्टोर/2019/10782 दिनांक 24.09.2019 के द्वारा प्रदेश शासन से सेवानिवृत्त अधिकारी से प्रशासकीय अधिकारी के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये थे। नियमानुसार चयन प्रक्रिया पूर्ण कर सेवानिवृत्त अधिकारी का संविदा नियुक्ति हेतु चयन किया गया है:-

क्रमांक	चयनित उम्मीदवार का नाम	पदनाम	मासिक मानदेय	पदस्थापना स्थल
1.	श्री सुनील कुमार सक्सेना पता- एफ-1, फारखून पार्क, गुलमोहर, भोपाल मो. न. 9827389410	प्रशासकीय अधिकारी	पे माइनस पेंशन	राज्य स्तरीय कार्यालय, भोपाल

चयनित अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे मूल दस्तावेज एवं उनकी छायाप्रति के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय भोपाल में उपस्थित हो ताकि उनके दस्तावेजों का सत्यापन कर अनुबंध संबंधी कार्यवाही की जा सके।  
संविदा कर्मचारी की सेवा शर्तें निम्नानुसार रहेगी :-

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा नियुक्ति दिनांक से राज्य स्वास्थ्य समिति, मध्यप्रदेश के संविदा कर्मचारी होंगे।
  2. संविदा कर्मचारी की संविदा नियुक्ति दिनांक 31 मार्च 2020 तक के लिये होगी।
  3. संविदा कर्मचारी को आदेश दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्य पर उपस्थित होना होगा।
  4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के अंतर्गत संविदा सेवा अनुबंध में दर्शाये गये दायित्वों का निर्वहन अनिवार्य होगा।
  5. संविदा कर्मचारी का वार्षिक कार्य आधारित मूल्यांकन में योग्य पाये जाने पर कार्ययोजना में प्राप्त स्वीकृति के अनुसार अनुबंध राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश द्वारा स्वीकृत अवधि के लिये बढ़ाया जा सकेगा।
  6. संविदा अनुबंध के आधार पर नियमितीकरण संबंधी कोई मांग या दावे स्वीकार्य नहीं होंगे।
  7. संविदा पद पर नियुक्ति कर्मचारी द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति अधिकारी के साथ मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित राशि के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित किया जाना होगा।
  8. मानव संसाधन मैनुअल की कडिका 2.10 के अनुसार संविदा नियुक्ति आदेश जारी होने के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी को चिकित्सीय फिटनेस प्रमाण पत्र जिला चिकित्सीय बोर्ड का प्रस्तुत किया जाना होगा।
  9. संविदा नियुक्ति आदेश जारी होने के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व शपथ-पत्र देना होगा कि मेरे विरुद्ध कोई भी विभागीय जांच शासन में लंबित नहीं है।
  10. उपरोक्त अनुबंध राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्राधिकृत अधिकारी एवं संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी के मध्य निष्पादित किया जायेगा।
  11. अनुबंध के निष्पादन पर होने वाला व्यय उक्त संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी द्वारा वहन किया जायेगा।
  12. संविदा कर्मचारी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के नवीनतम मानव संसाधन मैनुअल के प्रावधानों के तहत कार्य करना होगा।
- (प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित।)

(छवि भरद्वाज)

मिशन संचालक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 05.11.19

पृ.कं./एन.एच.एम./एच.आर./2019/13145

प्रतिलिपी:- सूचनार्थ।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश।
3. अपर मिशन संचालक, एन.एच.एम, मध्यप्रदेश।
4. संचालक, वित्त, मध्यप्रदेश।
5. समस्त उप संचालक, एन.एच.एम, मध्यप्रदेश।
6. संबंधित की ओर पालनार्थ।

मिशन संचालक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

मध्यप्रदेश



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश  
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल



क्रमांक / एन.एच.एम. / एच.आर. / 2019 / 13142

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 05.11.19

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विज्ञापन पत्र क्रमांक / एनएचएम / स्टोर / 2019 / 10782 दिनांक 24.09.2019 के द्वारा प्रदेश शासन से सेवानिवृत्त अधिकारी से सहायक ग्रेड-2 के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये थे। नियमानुसार चयन प्रक्रिया पूर्ण कर सेवानिवृत्त अधिकारी का संविदा नियुक्ति हेतु चयन किया गया है:-

क्रमांक	चयनित उम्मीदवार का नाम	पदनाम	मासिक मानदेय	पदस्थापना स्थल
1.	श्री राजेन्द्र सिंह पता-बी 76 जेके टावन, कोलार रोड़, जिला भोपाल मो.-9425672542	सहायक ग्रेड-2	पे माइनस पेंशन	राज्य स्तरीय कार्यालय, भोपाल

चयनित अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे मूल दस्तावेज एवं उनकी छायाप्रति के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय भोपाल में उपस्थित हो ताकि उनके दस्तावेजों का सत्यापन कर अनुबंध संबंधी कार्यवाही की जा सके।

**संविदा कर्मचारी की सेवा शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-**

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा नियुक्ति दिनांक से राज्य स्वास्थ्य समिति, मध्यप्रदेश के संविदा कर्मचारी होंगे।
- संविदा कर्मचारी की संविदा नियुक्ति दिनांक 31 मार्च 2020 तक के लिये होगी।
- संविदा कर्मचारी को आदेश दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्य पर उपस्थित होना होगा।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के अंतर्गत संविदा सेवा अनुबंध में दर्शाये गये दायित्वों का निर्वहन अनिवार्य होगा।
- संविदा कर्मचारी का वार्षिक कार्य आधारित मूल्यांकन में योग्य पाये जाने पर कार्ययोजना में प्राप्त स्वीकृति के अनुसार अनुबंध राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश द्वारा स्वीकृत अवधि के लिये बढ़ाया जा सकेगा।
- संविदा अनुबंध के आधार पर नियमितीकरण संबंधी कोई मांग या दावे स्वीकार्य नहीं होंगे।
- संविदा पद पर नियुक्ति कर्मचारी द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति अधिकारी के साथ मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित राशि के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित किया जाना होगा।
- मानव संसाधन मैनुअल की कडिका 2.10 के अनुसार संविदा नियुक्ति आदेश जारी होने के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी को चिकित्सीय फिटनेस प्रमाण पत्र जिला चिकित्सीय बोर्ड का प्रस्तुत किया जाना होगा।
- संविदा नियुक्ति आदेश जारी होने के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व शपथ-पत्र देना होगा कि मेरे विरुद्ध कोई भी विभागीय जांच शासन में लंबित नहीं है।
- उपरोक्त अनुबंध राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्राधिकृत अधिकारी एवं संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी के मध्य निष्पादित किया जायेगा।
- अनुबंध के निष्पादन पर होने वाला व्यय उक्त संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी द्वारा वहन किया जायेगा।
- संविदा कर्मचारी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के नवीनतम मानव संसाधन मैनुअल के प्रावधानों के तहत कार्य करना होगा।

(प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित।)

(छवि भारद्वाज)  
मिशन संचालक  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 05.11.19

पृ.कं. / एन.एच.एम. / एच.आर. / 2019 / 13143  
प्रतिलिपी:- सूचनार्थ।

- प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
- स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश।
- अपर मिशन संचालक, एन.एच.एम, मध्यप्रदेश।
- संचालक, वित्त, मध्यप्रदेश।
- समस्त उप संचालक, एन.एच.एम, मध्यप्रदेश।
- संबंधित की ओर पालनार्थ।

मिशन संचालक  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश  
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल



क्रमांक/एन.एच.एम./एच.आर./2019/13140

भोपाल, दिनांक 05.11.19

//आदेश//

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विज्ञापन पत्र क्रमांक/एनएचएम/स्टोर/2019/10782 दिनांक 24.09.2019 के द्वारा प्रदेश शासन से सेवानिवृत्त अधिकारी से प्रशासकीय अधिकारी के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये थे। नियमानुसार चयन प्रक्रिया पूर्ण कर सेवानिवृत्त अधिकारी का संविदा नियुक्ति हेतु चयन किया गया है:-

क्रमांक	चयनित उम्मीदवार का नाम	पदनाम	मासिक मानदेय	पदस्थापना स्थल
1.	श्री दिनेश चंद्र सिंधी पता-61, विनीत कुंज कलोनी, कोलार रोड, भोपाल। मो.-7747005301, 7987132404	प्रशासकीय अधिकारी	पे माइनस पेंशन	राज्य स्तरीय कार्यालय, भोपाल

चयनित अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे मूल दस्तावेज एवं उनकी छायाप्रति के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय भोपाल में उपस्थित हो ताकि उनके दस्तावेजों का सत्यापन कर अनुबंध संबंधी कार्यवाही की जा सके।

**संविदा कर्मचारी की सेवा शर्तें निम्नानुसार रहेगी :-**

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा नियुक्ति दिनांक से राज्य स्वास्थ्य समिति, मध्यप्रदेश के संविदा कर्मचारी होंगे।
2. संविदा कर्मचारी की संविदा नियुक्ति दिनांक 31 मार्च 2020 तक के लिये होगी।
3. संविदा कर्मचारी को आदेश दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्य पर उपस्थित होना होगा।
4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के अंतर्गत संविदा सेवा अनुबंध में दर्शाये गये दायित्वों का निर्वहन अनिवार्य होगा।
5. संविदा कर्मचारी का वार्षिक कार्य आधारित मूल्यांकन में योग्य पाये जाने पर कार्ययोजना में प्राप्त स्वीकृति के अनुसार अनुबंध राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश द्वारा स्वीकृत अवधि के लिये बढ़ाया जा सकेगा।
6. संविदा अनुबंध के आधार पर नियमितीकरण संबंधी कोई मांग या दावे स्वीकार्य नहीं होंगे।
7. संविदा पद पर नियुक्ति कर्मचारी द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति अधिकारी के साथ मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित राशि के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित किया जाना होगा।
8. मानव संसाधन मैनुअल की कडिका 2.10 के अनुसार संविदा नियुक्ति आदेश जारी होने के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी को चिकित्सीय फिटनेस प्रमाण पत्र जिला चिकित्सीय बोर्ड का प्रस्तुत किया जाना होगा।
9. संविदा नियुक्ति आदेश जारी होने के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व शपथ-पत्र देना होगा कि मेरे विरुद्ध कोई भी विभागीय जांच शासन में लंबित नहीं है।
10. उपरोक्त अनुबंध राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्राधिकृत अधिकारी एवं संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी के मध्य निष्पादित किया जायेगा।
11. अनुबंध के निष्पादन पर होने वाला व्यय उक्त संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी द्वारा वहन किया जायेगा।
12. संविदा कर्मचारी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के नवीनतम मानव संसाधन मैनुअल के प्रावधानों के तहत कार्य करना होगा।

(प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित।)

(छवि भारद्वाज)  
मिशन संचालक  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक

05.11.19

पृ.कं./एन.एच.एम./एच.आर./2019/13141  
प्रतिलिपी:- सूचनार्थ।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश।
3. अपर मिशन संचालक, एन.एच.एम, मध्यप्रदेश।
4. संचालक, वित्त, मध्यप्रदेश।
5. समस्त उप संचालक, एन.एच.एम, मध्यप्रदेश।
6. संबंधित की ओर पालनार्थ।

मिशन संचालक  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश  
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल



क्रमांक / एन.एच.एम. / एच.आर. / 2019 / 13138

भोपाल, दिनांक 05.11.19

//आदेश//

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विज्ञापन पत्र क्रमांक/एनएचएम/स्टोर/2019/10782 दिनांक 24.09.2019 के द्वारा प्रदेश शासन से सेवानिवृत्त अधिकारी से प्रशासकीय अधिकारी के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये थे। नियमानुसार चयन प्रक्रिया पूर्ण कर सेवानिवृत्त अधिकारी का संविदा नियुक्ति हेतु चयन किया गया है:-

क्रमांक	चयनित उम्मीदवार का नाम	पदनाम	मासिक मानदेय	पदस्थापना स्थल
1.	श्री अनंतनारायण अरोरा पता-502, सफायर ब्लॉक, निखिल नेसल्स अपार्टमेंट, जाट खेड़ी होशंगाबाद रोड भोपाल, मो.-9425134261	प्रशासकीय अधिकारी	पे माइनस पेंशन	राज्य स्तरीय कार्यालय, भोपाल

चयनित अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे मूल दस्तावेज एवं उनकी छायाप्रति के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय भोपाल में उपस्थित हो ताकि उनके दस्तावेजों का सत्यापन कर अनुबंध संबंधी कार्यवाही की जा सके।

**संविदा कर्मचारी की सेवा शर्तें निम्नानुसार रहेगी :-**

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा नियुक्ति दिनांक से राज्य स्वास्थ्य समिति, मध्यप्रदेश के संविदा कर्मचारी होंगे।
- संविदा कर्मचारी की संविदा नियुक्ति दिनांक 31 मार्च 2020 तक के लिये होगी।
- संविदा कर्मचारी को आदेश दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्य पर उपस्थित होना होगा।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के अंतर्गत संविदा सेवा अनुबंध में दर्शाये गये दायित्वों का निर्वहन अनिवार्य होगा।
- संविदा कर्मचारी का वार्षिक कार्य आधारित मूल्यांकन में योग्य पाये जाने पर कार्ययोजना में प्राप्त स्वीकृति के अनुसार अनुबंध राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश द्वारा स्वीकृत अवधि के लिये बढ़ाया जा सकेगा।
- संविदा अनुबंध के आधार पर नियामेतीकरण संबंधी कोई मांग या दावे स्वीकार्य नहीं होंगे।
- संविदा पद पर नियुक्ति कर्मचारी द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति अधिकारी के साथ मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित राशि के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित किया जाना होगा।
- मानव संसाधन मैनुअल की कडिका 2.10 के अनुसार संविदा नियुक्ति आदेश जारी होने के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी को चिकित्सीय फिटनेस प्रमाण पत्र जिला चिकित्सीय बोर्ड का प्रस्तुत किया जाना होगा।
- संविदा नियुक्ति आदेश जारी होने के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व शपथ-पत्र देना होगा कि मेरे विरुद्ध कोई भी विभागीय जांच शासन में लंबित नहीं है।
- उपरोक्त अनुबंध राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्राधिकृत अधिकारी एवं संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी के मध्य निष्पादित किया जायेगा।
- अनुबंध के निष्पादन पर होने वाला व्यय उक्त संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी द्वारा वहन किया जायेगा।
- संविदा कर्मचारी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के नवीनतम मानव संसाधन मैनुअल के प्रावधानों के तहत कार्य करना होगा।

(प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित।)

(छवि भारद्वाज)  
मिशन संचालक  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक

05.11.19

पृ.कं. / एन.एच.एम. / एच.आर. / 2019 / 13139

प्रतिलिपी:- सूचनार्थ।

- प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
- स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश।
- अपर मिशन संचालक, एन.एच.एम, मध्यप्रदेश।
- संचालक, वित्त, मध्यप्रदेश।
- समस्त उप संचालक, एन.एच.एम, मध्यप्रदेश।
- संबंधित की ओर पालनार्थ।

मिशन संचालक  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश